फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

तीजारो / सरकार

केस संख्या : 139/2025 (धारा)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
	20/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप॰। वास्ते आदेश दिनांक 27/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर	
	27/2/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहों के बयानों के आधार पर वादीगण ने अपने वाद को साबित नहीं किया है अतः वाद, वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखी गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 139/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –21.08.2025

1. तीजा देवी पत्नी शोजीराम
2. नाथूराम पुत्र जगन्नाथ
3. नानूराम पुत्र चौथमल
4. मुकेश कुमार पुत्र चौथमल
5. मेवाराम पुत्र नारायण
6. महेश पुत्र श्योजीराम
7. राधेश्याम पुत्र श्योजीराम
8. रामलाल पुत्र नारायण
9. सुरेश पुत्र चौथमल
10. सांवरमल पुत्र चौथमल
11. सीताराम पुत्र नारायण

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री मोहन लाल जाट – अधिवक्ता वादीगण की ओर से

दिनांक 27.02.2026

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नारदपुरा पटवार हल्का खन्नीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 86 व पुराना 79 के आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.2800 हैक्टे[illegible]100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 30 रकबा 0.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 31 रकबा [illegible] हैक्टेयर खसरा नम्बर 32/537 रकबा 0.0800 हैक्टेयर खरा नम्बर 39/418 रकबा 0.0[illegible] हैक्टेयर स्थित है, जो वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही है। वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 31 के लगवा दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 38/419 स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित हैं। वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

में भूमि खसरा नम्बर 31 विवादित है। जिसे वाद पत्र के आगे के मदो में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया हैं। खसरा नम्बर 38/419 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है जो गै०मु० रास्ते की भूमि हैं परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 38/419 में कोई रास्ता कायम नही है ना ही कभी पूर्व में उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में आयी हैं। बल्कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 31 के मध्य में रास्ता कायम हैं। जिस पर ग्रेवल सडक का निर्माण किया हुआ हैं। जिसका वादीगण एवं आमजनता द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 38/419 गै०मु० रास्ते की आड में वादीगण को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर उतारू रहते हैं जिसका कि उनको कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हैं। वादीगण को यह अधिकार हासिल है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 38/419 गै०मु० रास्ते को वादीगण की खातेदारी में दर्ज करवाये तथा खसरा नम्बर 31 के मध्य रास्ते के उपयोग में आ रही उतनी ही भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 31 में रास्ता कायम कर दिये जाने एवं खसरा नम्बर 38/419 की भूमि रास्ते के उपयोग में नही आने के कारण वादीगण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का वादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कारण वादीगण द्वारा यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा दर्ज करने बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वंय करे ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादी से करावे। इस कारण वादीगण द्वारा यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 38/419 की खातेदारी वादीगण के नाम एवं खसरा नम्बर 31 के मध्य रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना संभव होना बताया गया इस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं। वादकारण दिनांक 30–07–2025 को वादीगण द्वारा तहसीलदार से उक्त दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दुरूस्त किया जाना संभव होना बताने के कारण वादीगण को वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] नोटिस दिये ही वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है [illegible] नोटिस में छूट के बाबत अलग से प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये माननीय न्यायालय हाजा को वाद श्रवण एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

तहसीलदार तहसील जालसू जिला. जयपुर की ओर से बिन्दुवार जवाब मय रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम नारदपुरा पटवार हल्का खन्नीपुरा में हाल खाता नं. 86 के आराजी खसरा नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32/537, 39/418 किता–7 कुल रकबा 1.55 हैक्टे· तीजा देवी पत्नी श्योजीराम हिं0 1/18 महेश, राधेश्याम पि. श्योजी राम हि. 2/18 नाथूराम पुत्र जगनाथ हि0ः 1/6, नानूराम, मुकेश कुमार, सुरेश, सांवरमल पि. चौथमल हि. 4/12 मेवाराम पुत्र नारायण हि. 1/9, रामलाल सीताराम पि0 नारायण हि. 2/9 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा– देह खातेदार के नाम दर्ज है। वादीगण के भूमि ख.न. 31 के लगवा दक्षिण दिशा में ख0 न 38/419 रकबा 0.08 है. किस्म गै. मु. रास्ता सिवायचक बिला लगानी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जो वर्तमान में मौके पर पडत है। आराजी खसरा नंबर रकबा 0.24 है. किस्म बारानी 3 जो कि वादी गण के नाम खातेदारी दर्ज है के मध्य से मौके पर रास्ता ग्रेवल सडक के रूप में वादीगण द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। आराजी खसरा नंबर 38/419 गै. मु. रास्ता सिवायचक बिला लगानी में मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। तथा इसके पास स्थित ख.न. 31 जो कि वादीगण के खातेदारी दर्ज है के मध्य से ग्रेवल सडक मौके पर उपयोग में ली जा रही है। वर्तमान में चालू रास्ता ख.म. 31 के मध्य में है जबकि खसरा नंबर 38/419 खसरा नंबर 31 के दक्षिण सीमा के सहारे खसरा नंबर ख.न. 38/1 व ख.न. 31 के मध्य में स्थित है।

तद्उपरान्त वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–पी 1 हाल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–पी 2 हाल जमाबंदी संवत 2076–79, प्रदर्श पी 3 हाल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 प्रदर्शित करवाये।

PW–1 सांवरमल पुत्र चौथमल जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ।

PW–2 सीताराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ।

PW–3 नाथूराम पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर वादीगण के मौखिक साक्ष्य पेश किये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार, खसरा नंबर 38/419 (क्षेत्रफल 0.08 हेक्टेयर) राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' और ''सिवायचक बिला लगानी'' (सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज है । वादीगण का यह तर्क कि इस भूमि को उनकी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:11 IST
Reason: Self Attested

...दारी में दर्ज किया जाए और उनके निजी–खसरा नंबर 31 की भूमि (जहाँ वर्तमान में ...त सड़क बनी है) को सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज किया जाए, राजस्व नियमों के विरुद्ध ...। वादीगण ने खसरा नंबर 38/419 पर अपनी खातेदारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं । ...नुनन, एक बार जब कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग (रास्ता) या सरकारी भूमि (सिवायचक) के रूप में दर्ज हो जाती है, तो उसे बिना किसी ठोस कानूनी आधार या भूमि रूपांतरण प्रक्रिया के निजी व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में चल रहा रास्ता (ग्रेवल सड़क) वादियों की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 31 के मध्य से निकल रहा है। वादीगण चाहते हैं कि उनकी इस गलती या भूमि के उपयोग को सरकारी रिकॉर्ड में बदलकर उन्हें दूसरी सरकारी भूमि (खसरा 38/419) दे दी जाए। यह "भूमि विनिमय" (Exchange) का मामला प्रतीत होता है, जिसके ...तए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक अलग और विशिष्ट प्रक्रिया है। इसे घोषणात्मक वाद के माध्यम से सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। वादीगण ने प्रदर्श–पी 1 (नक्शा ट्रेस) और प्रदर्श–पी 2 व 3 (जमाबंदी संवत 2076–79) पेश किए हैं । ये दस्तावेज केवल वर्तमान स्थिति दर्शाते हैं कि भूमि किसके नाम है, लेकिन ये यह सिद्ध नहीं करते कि वादियों को सरकारी भूमि (खसरा 38/419) पर मालिकाना हक पाने का कोई कानूनी अधिकार है। इसके अतिरिक्त वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादी ने कितने समय से उक्त सरकारी आराजी पर काबिज है तथा ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं रखा जिससे ये साबित हो कि प्रार्थी/वादी को किसी प्रकार की क्षति हो रही हो। प्रकरण में खसरा नंबर 38/419 स्पष्ट रूप से सरकारी 'रास्ता' दर्ज है और वादी अपनी निजी भूमि (खसरा 31) के बदले में सरकारी भूमि पर स्वामित्व चाहते हैं, जो कि सार्वजनिक नीति और राजस्व कानूनों के विपरीत है। तहसीलदार की रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि सरकारी रिकॉर्ड में रास्ता खसरा नंबर 38/419 पर ही है, भले ही मौके पर वह "पड़त" (खाली) हो । फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहो के बयानों के आधार पर वादीगण ने अपने वाद को साबित नहीं किया है। अतः वाद, वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जा... ...ली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 139 / 2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –21.08.2025

1. तीजा देवी पत्नी शोजीराम
2. नाथूराम पुत्र जगन्नाथ
3. नानूराम पुत्र चौथमल
4. मुकेश कुमार पुत्र चौथमल
5. मेवाराम पुत्र नारायण
6. महेश पुत्र श्योजीराम
7. राधेश्याम पुत्र श्योजीराम
8. रामलाल पुत्र नारायण
9. सुरेश पुत्र चौथमल
10. सांवरमल पुत्र चौथमल
11. सीताराम पुत्र नारायण

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88, 89 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहो के बयानों के आधार पर वादीगण ने अपने वाद को साबित नहीं किया है। अतः वाद, वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

दस्तखत––––

ओहदा––––

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:11 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर
[illegible]र मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	[illegible]	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये		स्टाम्प अर्जी [illegible] स्टाम्प वकालतनामा [illegible] महन्ताना वकी[illegible] खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	[illegible] रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर